

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-21/2025 दिनांक: दिसम्बर 31, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस-डीजी-चार-125(14)/2018/355 दिनांक 10-09-2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(40)/2025 दिनांक 01-09-2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदन दिनांक 10-09-2025 के क्रम में 31 दिसम्बर, 2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01-01-2026 से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
80	125	040750343	सुधीर कुमार	श्री ऋषीपाल सिंह	मेरठ	2025
81	126	960560011	रामानन्द पुरी	श्रीराम	देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा	2025
82	128	980670851	दिलीप कुमार	महावीर सिंह	कमिश्नरेट कानपुरनगर	2025
83	129	980630554	दिग्विजय सिंह	संतबहादुर सिंह	रायबरेली	2025
84	130	980530942	श्याम सुन्दर यादव	जगदेव यादव	महराजगंज	2025
85	131	040530273	जितेन्द्र कुमार राय	राम हौसिला राय	सिद्धार्थनगर	2025
86	132	030541232	प्रवीण कुमार द्विवेदी	श्री श्याम सुन्दर द्विवेदी	फतेहगढ़	2025
87	133	040460260	तरुण कुमार यादव	श्री राजवीर सिंह यादव	कमिश्नरेट गाजियाबाद	2025
88	135	980631339	राजेश सिंह	ज्ञान सिंह	ललितपुर	2025
89	136	980630336	उमेश बाबू	श्री प्रभु दयाल	झाँसी	2025
90	137	980630088	कमलेश कुमार	सोहन लाल	महोबा	2025
91	138	980461176	राजेश कुमार यादव	श्री रामकृष्ण	उन्नाव	2025
92	139	980770939	वीरेन्द्र सिंह	मकखन सिंह	रामपुर	2025
93	140	980631300	नरेन्द्र सिंह	खुशीराम	ललितपुर	2025

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
94	141	980630075	यादवेन्द्र वीर सिंह	रणवीर सिंह	जालौन	2025
95	142	030630101	दिनेश कुमार	प्रभु दयाल यादव	उन्नाव	2025
96	143	030720086	सरफराज अहमद अंसारी	मो० शमीम अंसारी	34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी	2025
97	144	980680911	दलवीर सिंह	रामेश्वर दयाल	कमिश्नरेट आगरा	2025
98	145	970530112	भानु प्रताप	केदार नाथ	द्वितीय वाहिनी पीएसी सीतापुर	2025
99	147	980520185	मनोज कुमार	स्व० जिलेदार सिंह	औरैया	2025
100	148	980530290	राजेश कुमार सिंह	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी	2025
101	149	980530333	दिलीप कुमार गुप्ता	श्री सरयू प्रसाद गुप्ता	34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी	2025
102	150	980591156	धर्मेन्द्र कुमार यादव	स्वामीनाथ यादव	36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी	2025
103	151	980510070	ध्रुव कुमार	राम सेवक सिंह	कमिश्नरेट आगरा	2025
104	152	980530421	शिव कुमार राम	कुलदीप राम	प्रतापगढ़	2025
105	153	980530450	रामाश्रय यादव	श्री लक्ष्मण यादव	प्रयागराज	2025
106	154	980530463	जसवन्त सिंह	श्री सुदर्शन सिंह	आजमगढ़	2025
107	155	980750083	सूरज पाल	शेष नरायण सिंह	उन्नाव	2025
108	156	010590023	पुष्पेन्द्र सिंह	स्व० मुक्ता सिंह	जालौन	2025
109	157	030581281	शशि प्रकाश सिंह	ओम प्रकाश सिंह	कमिश्नरेट वाराणसी	2025
110	158	980740776	संजय कुमार यादव	रामबली यादव	गोण्डा	2025
111	159	980570207	बृजेश कुमार यादव	बब्बन सिंह यादव	अमेठी	2025
112	160	980570236	मनोज कुमार यादव	परमाप्पा प्रसाद यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
113	161	980630192	भूपेन्द्र सिंह	भोगी लाल	ललितपुर	2025
114	162	980740239	चन्द्र भूषण कुमार मौर्या	रामजीत कुशवाहा	महाराजगंज	2025
115	163	980561469	मो० मुसाहन अली	मो० वकील अली	अयोध्या	2025
116	164	030620689	शरद कुमार	श्री हरदयाल	बलरामपुर	2025
117	165	980570584	धर्मेन्द्र यादव	शिवधारी यादव	सिद्धार्थनगर	2025
118	166	980740822	सत्यपाल यादव	श्री मुख्तार यादव	गोण्डा	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क


(राजकुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद एवं इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

1. पुलिस आयुक्त, कानपुरनगर/गाजियाबाद/आगरा/प्रयागराज/वाराणसी/लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा।
3. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, मेरठ/रायबरेली/महराजगंज/सिद्धार्थनगर/फतेहगढ़/ललितपुर/झाँसी/महोबा/उन्नाव/रामपुर/जालौन/औरैया/प्रतापगढ़/आजमगढ़/गोण्डा/अमेठी/अयोध्या/बलरामपुर।
4. सेनानायक, 34वीं पीएसी वाराणसी/द्वितीय पीएसी सीतापुर/36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10-09-2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01-09-2025 के संदर्भ में।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)

पुत्र

निवासी

थाना

जनपद

वर्तमान में (जनपद/इकाई) लिखित हैं। मैं प्रमाणित करता हूँ कि-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचारधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स० द्वारा थाना जनपद में लम्बित हैं, जिसमें दिनांक: को स्थानीय पुलिस अथवा जॉब एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया गया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से झोशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्ति स्थान-

दिनांक-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तार-1 के उपप्रस्तार-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हों उसे स्पष्ट रूप से कट (x) दिया जाय।